THE SCIENCE WORLD
A Monthly e Magazine
ISSN:2583-2212
Popular Article
Oct, 2026 Vol.6(10), 3260-3266

# राजस्थान के मात्स्यिकी विकास में केंद्र सरकार की योजनाओं की भूमिका

**एन. सी. उज्जैनियां[1], सी. पी. जुयाल[2] एवं विकास कुमार उज्जैनियां[3]**

[1]जलीय जीव विज्ञान विभाग, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत – 395007 (गुजरात)

[2]मत्स्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर – 302015 (राजस्थान)

[3]जलकृषि विभाग, भा.कृ.अनु.प.– केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई – 400061 (महाराष्ट्र)

doi.org/10.5281/ScienceWorld.23469179

## परिचय

भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र विगत सात दशकों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका तथा आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। देश में कुल मत्स्य उत्पादन वर्ष 1950–51 के 7.52 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024–25 में अनुमानित 197.75 लाख टन तक पहुँच गया, जो इस क्षेत्र में हुए व्यापक विकास को दर्शाता है। इस प्रगति में अंतर्देशीय मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि का विशेष योगदान रहा है। वर्ष 2024–25 में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 151.60 लाख टन रहा, जो देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 77 प्रतिशत है। इस प्रकार, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ अंतर्देशीय जल संसाधनों का उपयोग भी अधिक महत्त्वपूर्ण हुआ है।

राजस्थान में मात्स्यिकी विकास की अपार संभावनाएँ उपलब्ध हैं। यद्यपि राज्य का भौगोलिक स्वरूप शुष्क एवं अर्द्धशुष्क है, तथापि तालाबों, जलाशयों, बाँधों तथा अन्य अंतर्देशीय जलस्रोतों के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। वर्ष 2024–25 के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान का अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 1.14 लाख टन रहा, जो देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 0.57 प्रतिशत है। राज्य के कुल अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में प्रमुख कार्प मछलियों, जैसे कतला, रोहू तथा मृगल का सर्वाधिक योगदान है। इनके अतिरिक्त छोटी कार्प मछलियाँ (माइनर कार्प), विदेशी कार्प, कैटफिश तथा अन्य मीठे पानी की मछलियाँ भी उत्पादन में योगदान देती हैं। राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता, आधुनिक मत्स्य पालन विधियों का प्रसार तथा जलाशय एवं तालाब आधारित मत्स्य पालन का विस्तार उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
*Published 15/10/2026*

राजस्थान में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा आजीविका संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इनका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता, आधुनिक पालन तकनीकों का प्रसार, मत्स्य उत्पादों के संरक्षण एवं प्रसंस्करण की सुविधाओं का विकास तथा विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके साथ ही, मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना भी इन योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है।

वर्तमान समय में मात्स्यिकी विकास को केवल मछली उत्पादन तक सीमित न रखकर झींगा पालन, अलंकारी मछली पालन तथा अन्य आर्थिक महत्त्व के जलीय जीवों के संवर्धन को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। साथ ही, जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरणीय संतुलन का संरक्षण तथा आधुनिक तकनीकों का अंगीकरण इस क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रगति के लिए अनिवार्य हैं। अतः प्रस्तुत लेख का उद्देश्य राजस्थान के मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की भूमिका का विवेचन करना तथा राज्य में मत्स्य उत्पादन, रोजगार सृजन, मत्स्य पालकों की आजीविका और सतत विकास पर उनके योगदान को समझना है।

**उद्देश्य एवं प्राथमिकताएँ**

मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी हैचरी के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में मछली पालन गतिविधियों का विस्तार, मत्स्य पालन से संबंधित प्रसार एवं प्रशिक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा तिलापिया जैसी उच्च उत्पादन क्षमता वाली मछली प्रजातियों का अर्ध-सघन संवर्धन प्रणाली के अंतर्गत पालन प्रोत्साहित करना भी प्राथमिकताओं में शामिल है। जलाशय मत्स्य पालन के माध्यम से लाभार्थियों की आजीविका एवं आय में वृद्धि, अलंकारी मछली पालन और व्यापार का विकास तथा केज एवं पिंजरा पद्धति से मछली पालन और झींगा पालन जैसी नवीन मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इसके अतिरिक्त, मछली बाजारों के आधारभूत ढाँचे को विकसित करना तथा कम मूल्य वाली मछलियों का मूल्यवर्धन, उत्पाद विविधीकरण एवं प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना भी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे मत्स्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, मत्स्य उत्पादों का बेहतर विपणन सुनिश्चित करने और मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिल सके।

**केंद्रीय योजनाओं का योजनावार विवरण**

1. **पर्यवेक्षी कर्मचारी, निर्देशन एवं प्रशासन**

इस योजना का उद्देश्य राज्य में मत्स्यिकी विकास से संबंधित प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मत्स्य पालन गतिविधियों के प्रभावी



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
Published 15/10/2026

संचालन, निगरानी तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद, श्रीगंगानगर (सूरतगढ़), टोंक (बीसलपुर), बांसवाड़ा (माही बजाज सागर), डूंगरपुर (कड़ाणा बैकवाटर, सागवाड़ा) तथा उदयपुर (जयसमंद) में कार्यालयों की स्थापना की गई है।

2. **मत्स्य फार्मों का विकास एवं मत्स्य बीज उत्पादन**

मत्स्य पालन के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की पर्याप्त उपलब्धता एक प्रमुख आवश्यकता है। राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 1,200 मिलियन से अधिक मत्स्य बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य के विभिन्न मत्स्य फार्मों के विकास एवं संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कासिमपुरा, गुवाड़ी, सिलीसेड़, लखूवाली, तलवारा, गिलवा, सूरसागर तथा कैथून स्थित मत्स्य फार्मों के संचालन एवं रखरखाव तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य मत्स्य बीज उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा मत्स्य पालकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध कराना है।

3. **जलाशय मत्स्य पालन का एकीकृत विकास**

राजस्थान में उपलब्ध जलाशयों का मत्स्य उत्पादन के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत राणा प्रताप सागर, बीसलपुर, जयसमंद, कड़ाणा बैकवाटर तथा माही बजाज सागर जैसे प्रमुख जलाशयों में कार्यरत यंत्रीकृत नौकाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं से जलाशयों में मत्स्य पालन गतिविधियों के संचालन, मत्स्य संसाधनों के उपयोग तथा मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।

4. **मत्स्य विस्तार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण**

मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों के प्रसार, मत्स्य पालकों की क्षमता निर्माण तथा विभागीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मत्स्य विस्तार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत विभागीय कर्मचारियों के राज्य के बाहर प्रशिक्षण, प्रगतिशील मत्स्य पालकों के राज्य के भीतर एवं बाहर भ्रमण तथा मत्स्य विकास से संबंधित जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य नवीन तकनीकों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मत्स्य पालन की उत्पादकता में सुधार करना तथा मत्स्य पालकों को उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

5. **मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना**

मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को दुर्घटनाओं से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाइसेंसधारी, पहचान प्राप्त अथवा पंजीकृत मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर ₹2 लाख तथा स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख का बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने तथा अन्य संबंधित खर्चों के लिए ₹10,000 तक की सहायता का प्रावधान भी है। केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बीमा कवर 12 माह की



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
Published 15/10/2026

अवधि के लिए लागू होता है। बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों एवं उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है।

6. **राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना**

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का उद्देश्य मछुआरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें आवास एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से निम्नलिखित उप-योजनाओं के माध्यम से किया जाता है।

**(क) आदर्श मछुआरा गाँव का विकास**

इस उप-योजना के अंतर्गत मछुआरा समुदाय के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योजना के तहत किसी मछुआरा गाँव में कम से कम 10 या उससे अधिक पात्र परिवारों का चयन किया जा सकता है, जो उस गाँव में पात्र मछुआरों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक आवास के लिए 35 वर्ग मीटर का चबूतरा तथा ₹1,25,000 तक की निर्माण लागत निर्धारित है। इसके लिए लाभार्थी का सक्रिय मछुआरा होना, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करना तथा भूमिहीन होना आवश्यक है। इस पहल का उद्देश्य पात्र मछुआरा परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

**(ख) बचत एवं राहत योजना**

बचत एवं राहत योजना का उद्देश्य मछली पकड़ने की गतिविधियाँ कम होने अथवा बंद रहने की अवधि में मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, मछुआरे को नौ माह की अवधि में ₹1,500 का अंशदान करना होता है, जबकि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कुल ₹3,000 का योगदान 50:50 के अनुपात में किया जाता है। इस प्रकार, बंद मौसम के दौरान प्रत्येक पात्र मछुआरे को कुल ₹4,500 की सहायता तीन समान मासिक किश्तों में प्रदान की जाती है। उल्लिखित व्यवस्था में जून, जुलाई एवं अगस्त माह को कम मछली पकड़ने की अवधि माना गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मछुआरे का पूर्णकालिक एवं पेशेवर रूप से मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न होना, किसी सहकारी समिति, संघ अथवा कल्याणकारी समिति का सदस्य होना, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करना तथा 60 वर्ष से कम आयु का होना आवश्यक है। यह योजना मछुआरों को प्रतिकूल मौसम में आर्थिक सहारा प्रदान करने में सहायक है।

7. **सूचना एवं प्रौद्योगिकी**

मत्स्यिकी क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा विभागीय सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पहल के अंतर्गत मत्स्य विभाग के मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों को वेब-आधारित सॉफ्टवेयर, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा उन्नत कंप्यूटर प्रणालियों से सुदृढ़ करने का प्रावधान है। इन सुविधाओं के माध्यम से विभागीय कार्यों के डिजिटलीकरण, आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान तथा विभिन्न



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
Published 15/10/2026

योजनाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे मत्स्य पालकों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने में सहायता मिलती है।

8. **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड**

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना तथा मत्स्यिकी क्षेत्र के समन्वित विकास को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान में मत्स्यिकी गतिविधियों के विस्तार के संदर्भ में बोर्ड की योजनाएँ एवं वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा बीसलपुर में खेल मत्स्यिकी (स्पोर्ट्स फिशरी) परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार की परियोजनाएँ जल संसाधनों के बहुउद्देशीय उपयोग, मनोरंजक मत्स्यिकी के विकास तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के अवसर बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। परियोजना-विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 40 से 100 प्रतिशत तक हो सकती है।

9. **मत्स्य पालन क्षेत्र हेतु डेटाबेस एवं सूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण**

मत्स्यिकी क्षेत्र की योजनाओं के प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता आवश्यक है। इस उद्देश्य से मत्स्य पालन क्षेत्र के डेटाबेस एवं सूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करने संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन, मत्स्य संसाधनों तथा संबंधित गतिविधियों के आंकड़ों का संग्रहण, संकलन एवं व्यवस्थित प्रबंधन किया जाता है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, मत्स्यिकी संबंधी आंकड़ों के संकलन तथा भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। इसमें केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के सॉफ्टवेयर तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निर्धारित आँकड़ा प्रपत्रों के माध्यम से मत्स्यिकी संबंधी सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कार्य भी शामिल है। एक सुदृढ़ आँकड़ा-संग्रह एवं सूचना प्रणाली राज्य के मत्स्यिकी संसाधनों के आकलन, योजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा भविष्य की विकास रणनीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10. **नीली क्रांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन**

नीली क्रांति योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, जलीय संसाधनों का समुचित उपयोग तथा मत्स्यिकी क्षेत्र के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन के आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचनाओं के विकास, मछुआरों के कल्याण तथा आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। योजना के लिए वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में ₹3,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार, संबंधित घटकों में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी का प्रावधान था। इसके प्रमुख घटकों में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल थीं।



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
Published 15/10/2026

**(क) निजी क्षेत्र में नए तालाबों एवं टैंकों का निर्माण**

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में नए तालाबों एवं टैंकों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, नए मत्स्य बीज पालन तालाबों एवं टैंकों के निर्माण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹6 लाख की इकाई लागत निर्धारित की गई थी तथा लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार 40 से 60 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, पुनः परिसंचरण जलीय कृषि प्रणाली (RAS), गहन एवं अत्यधिक गहन मत्स्य पालन, मोती संवर्धन तथा मत्स्योत्तर प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया गया। इन प्रयासों का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना, जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना तथा उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर विकसित करना है।

**(ख) क्राफ्ट एवं गियर, पिंजरा पालन तथा प्रशासनिक व्यय**

मत्स्य पालन एवं मछली पकड़ने की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नौकाओं तथा मछली पकड़ने के आवश्यक उपकरणों (क्राफ्ट एवं गियर) की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इस घटक के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्यमियों एवं किसानों को पात्र गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, पिंजरा पद्धति से मत्स्य पालन की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पिंजरा पालन की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। ऐसी गतिविधियाँ जलाशयों एवं अन्य उपयुक्त जल निकायों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने तथा मत्स्य पालकों की आय के नए स्रोत विकसित करने में सहायक हो सकती हैं।

**(ग) प्रजनन बैंक का निर्माण एवं मत्स्य फार्मों का नवीनीकरण**

गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मत्स्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रजनन संबंधी आधारभूत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। इस घटक के अंतर्गत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी बांध पर क्षेत्रीय मत्स्य प्रजनन बैंक के निर्माण का प्रावधान किया गया था। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस कार्य के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी निर्धारित थी। इस प्रकार की सुविधाएँ गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य फार्मों के सुदृढ़ीकरण तथा राज्य में मत्स्य पालन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

**(घ) मत्स्य कृषकों के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण**

मत्स्य पालकों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर तथा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मत्स्य पालकों को उन्नत पालन तकनीकों, मत्स्य बीज प्रबंधन, उत्पादन बढ़ाने के उपायों तथा आधुनिक मत्स्यिकी गतिविधियों के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था। संबंधित घटक के लिए उपलब्ध विवरण में केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता का उल्लेख है।



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
Published 15/10/2026

11. **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** (PMSSY)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई थी तथा इसे वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया। योजना के लिए ₹ 20,050 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मत्स्योत्तर आधारभूत संरचनाओं का विकास, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण तथा मत्स्य उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ बनाना था। इसके साथ ही, प्रभावी मत्स्य प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और मछुआरों एवं मत्स्य पालकों के कल्याण को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। राजस्थान में इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जलाशयों, तालाबों एवं अन्य उपयुक्त जल संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों को अपनाने तथा मत्स्यिकी आधारित रोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की संभावनाएँ विकसित हुई हैं।

12. **प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना** (PMKSSY)

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है, जिसे भारत सरकार ने 8 फरवरी 2024 को स्वीकृति प्रदान की थी। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित की गई है तथा इसका क्रियान्वयन देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाना है। योजना का उद्देश्य मत्स्यिकी क्षेत्र में विद्यमान संरचनात्मक एवं परिचालन संबंधी कमजोरियों को दूर करना, मत्स्य पालकों एवं मत्स्य उद्यमों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना और संस्थागत सुधारों के माध्यम से इस क्षेत्र को अधिक संगठित एवं टिकाऊ बनाना है। इसके अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र में कार्यरत हितधारकों की क्षमता बढ़ाने, औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने, व्यवसाय संचालन को सुदृढ़ बनाने तथा मत्स्यिकी क्षेत्र में निवेश एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है। राजस्थान में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन मत्स्य पालकों की आर्थिक सुरक्षा, व्यवसाय के औपचारिकीकरण तथा मत्स्यिकी क्षेत्र की दीर्घकालीन विकास क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

**निष्कर्ष**

राजस्थान में मत्स्यिकी क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इन योजनाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक तकनीकों का प्रसार, आधारभूत संरचनाओं का विकास तथा मत्स्य पालकों एवं मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों में जागरूकता तथा तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करके राज्य में मत्स्यिकी क्षेत्र को अधिक लाभकारी, रोजगारपरक एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।



Official Website
www.thescienceworld.net
thescienceworldmagazine@gmail.com
Published 15/10/2026